

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 116/2016

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ

RAS



1 महेश पुत्र कालु।

2 मुकेश पुत्र कालु सनस्ता जाति बलाई निवासीगण ढाणी घासीयान तन प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलाट

सत्यमेव जयते

1 हणमान पुत्र सुणा जाति बलाई निवासी ढाणी घासीयान तन प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

2 श्रीमती सोनी विधवा नरसा।

2/1 मीरा पुत्री नरसा पत्नी मदनलाल जाति बलाई निवासी श्योराम का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

3 सुवालाल पुत्र नरसा।

4 बालु पुत्र मूंगा।

4/1 झाबरमल दत्तक पुत्र बालु।

4/2 बिदामी बेवा बालु।

5 भगवाना पुत्र औंकार।

5/1 श्रीमती सिणगारी पत्नी भगवाना।

5/2 गोपाल पुत्र भगवाना।

5/3 गणपत पुत्र भगवाना।

5/4 महाराम पुत्र भगवाना।

karis

- 5/5 बनवारी पुत्र भगवाना समस्त जाति बलाई निवासीगण ढाणी घासीयान तन प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
- 5/6 बिमला पुत्री भगवाना पत्नी गोविन्द जाति बलाई निवासी कोटड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
- 5/7 कमलेश पुत्री भगवाना पत्नी मोहन जाति बलाई निवासी ढाणी कुड़ी की तन झडाया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
- 6 कालु पुत्र औंकार।
- 6/1 गीता पुत्री कालु।
- 7 राजेश पुत्र कालु दत्तक पुत्र श्योराम समस्त जाति बलाई निवासी ढाणी घसीयान तन प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
- 7/1 प्रेमदेवी पुत्री श्योराम पत्नी श्यामलाल निवासी श्योराम का बास कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
- 7/2 नाथी देवी पुत्री श्योराम पत्नी बोदुराम जाति बलाई निवासी श्योराम का बास कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
- 8 श्रीमती दड़की पत्नी मनोहर।
- 9 रामेश्वर पुत्र मनोहर।
- 10 उमराव पुत्र मनोहर समस्त जाति बलाई निवासी ढाणी घसीयान तन प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.16
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
 बसिलसिले दावा संख्या 15/2002 उनवानी हणमान
 बनाम बालु आदि दावा बाबत घोषणा, विभाजन
 एवं स्थाई निषेधाज्ञा अपील अ0 धारा 223

lario

उपस्थित

1. श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट
3. श्री विनोद कुमार सरोज अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

—निर्णय—

दिनांक:— 15.01.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकरी नीमकाथाना द्वारा वाद संख्या 15/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 925,926 वाके ग्राम प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के सन्दर्भ में दावा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।


बहस उभयपक्ष सुनी गई। वरवक्त बहस विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट तथा अपीलांट व रेस्पोंडेंट पक्षकार स्वयं संख्या 1,3, 8,9,10 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया एवं प्रकरण पुन निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को रिमाण्ड करने पर सहमती व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सहमती एवं राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा

Leis

पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में पुन निर्णय हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाता है राजीनामों की प्रति विचारण न्यायालय को पत्रावली के साथ भिजवाई जाये उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.02.2019 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर